Teachingninja.in

Latest Govt Job updates

Private Job updates

Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in

Rajasthan High Court

Previous Year Paper

Translator (Hindi To English) 2017

Teachingninja.in

Written Test For The Post of Translator – 2017

प्रश्न पत्र – II

(हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद)

समय : दो घंटे | पूर्णांक : 100 अंक

नोट – सभी तीनों प्रश्न करने अनिवार्य हैं।

प्रश्न सं. 1. निम्न का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। (अंक 40)

"विधिसम्मत शासन" किसी सभ्य लोकतांत्रिक राजतंत्र के शासन का आधारभूत नियम है। हमारी सांविधानिक स्कीम विधि के नियम की संकल्पना पर आधारित है जिसका हमने अनुसरण किया है और जिसे हमने आत्मसमर्पित किया है। प्रत्येक व्यक्ति अविवादित रूप से वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से, विधि की सर्वोच्चता के अधीन है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कितना भी सशक्त और धनवान हो, विधि से ऊपर नहीं है भले ही वह कोई पुरूष हो या स्त्री। विधिसम्मत शासन की स्थापना के लिये संविधान ने देश की न्यायपालिका को विशिष्ट कार्य सौंपा है। विधिसम्मत शासन केवल न्यायालयों द्वारा ही अपनी विशिष्टियों को वर्णित करता है और अपनी संकल्पना को स्थापित करता है। न्यायपालिका को प्रभावी रूप से और सच्ची भावना से जो उसे यथार्थतः सौंपी गई है, अपने कर्तव्यों और कृत्यों को पूरा करने के लिये न्यायालयों की गरिमा और प्राधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये और इसका हर कीमत पर संरक्षण किया जाना चाहिये। स्वतन्त्रता के लगभग 50 वर्ष पूरे होने के पश्चात् भी देश की न्यायपालिका सतत् संकट में है और इसे अन्दर तथा बाहर से संकटापन्न किया जा रहा है। समय की आवश्यकता है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिये लोगों में पुनः विश्वास उत्पन्न किया जाए। इसकी निष्पक्षता और विधि के गौरव को कायम रखा जाए, इसकी संरक्षा की जाए और इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए। न्यायालयों में विश्वास को, जो लोगों में है, मलिन करने, कम करने और किसी व्यक्ति के अवमानपूर्ण व्यवहार द्वारा इसे समाप्त करने के लिये किसी भी प्रकार से अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। संस्था को अभ्याघात से बचाने के लिए एकमात्र हथियार न्यायालय की अवमान संबंधी कार्यवाही है जो न्यायिक प्रतिस्थापन का कवच है और जब भी इसकी आवश्यकता हो यह किसी भी व्यक्ति की गर्दन तक पहुंच सकता है चाहे वह कितना भी बड़ा या पहुंच से बाहर हो।

Teachingninja.in

प्रश्न सं. 2. निम्न का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। (अंक 35)

विभिन्न धर्मों के विभिन्न विचारों और दर्शनों का तथा विभिन्न दार्शनिकों, शिक्षाविदों और चिंतकों के विचारों का सर्वेक्षण करने का प्रयोजन मात्र यह दर्शित करना है कि उनमें से अधिकांश लोग बच्चों को विद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं थे। इसमें जिस बात पर बल दिया गया वह यह है कि बच्चों को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो उन्हें अपने जीवन को संचालित करने के विकल्प चुनने और अपनी व्यक्तिगत अभिरूचियों के अनुसार व्यवहार करने का विनिश्चय करने का अधिकार प्रदान करते हुए तथा उन्हें मतांध न बनाकर उनके स्वतंत्र चिंतन को कुंठित न करके धर्मों के विभिन्न विचारों और दर्शनों से अवगत कराए। एक बालक के चहुंमुखी विकास के लिये सभी शिक्षाविद् यह महसूस करते हैं कि छात्रों की बौद्धिक क्षमता प्रखर बनाने वाली मात्र सूचना देना पर्याप्त नहीं है। मस्तिष्क और हृदय के आंतरिक गुणों के साथ – साथ उनके स्वयं के जीवन और समाज के साथ उनके संबंधों को नियमित करने वाली क्षमता भी उनके स्वयं और समाज के हित में उनमें विकसित होनी चाहिए ताकि वे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जब बच्चों की क्षमता बौद्धिक प्रखर बनाने के साथ साथ उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिये उनके नैतिक चरित्र का भी विकास किया जाता है, तभी सांविधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है।

प्रश्न सं. 3. निम्न का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। (अंक 25)

अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय का अपराध की गंभीरता, ऐसे प्रभाव, जो अपराध का आहत व्यक्तियों पर हो सकता था और क्या भयोपरति की विचारणाओं को अनदेखा किया जा सकता है, आदि के विषय में यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिये। अधिनियम की धारा 4 में परिकल्पित अनुतोषों को देने या इंकार करने के लिए अपराध की प्रकृति को मापने के लिये कोई नियत मापदण्ड अधिकथित नहीं किया जा सकता है। तथापि न्यायालय को चूंकि यह व्यादेश प्राप्त है कि वह अपराधी के चरित्र पर विचार करे, अतः इसे अच्छी तरह स्मरण रखा जाता है कि चरित्र वह अमूर्त राय नहीं है जिसमें अन्य लोगों द्वारा अपराधी पकड़ा जाता है। शब्द ''चरित्र'' को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, इसका साधारण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। वेबस्टरर्स न्यू इन्टरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार ''कैरिक्टर'' (चरित्र) से अभिप्रेत कोई गुण खासतौर पर लक्षण (विशिष्टता) जो आंतरिक स्वभाव का सूचक है। ब्लैकस लॉ डिक्शनरी में ''कैरिक्टर'' को ''उन आदर्श गुणों के समूह के रूप परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के होते हैं और उसे विशिष्टता प्रदान करते हैं; किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का सामान्य परिणाम।''

****

Teachingninja.in